Unit II (इकाई II)

4. Explain the nature and scope of Life Insurance.

जीवन बीमा के स्वरूप एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए ।

5. Explain the role and duties of LIC in India's insurance sector.

भारत के बीमा क्षेत्र में एल्ब की भूमिका और कर्तव्यों को समझाइए ।

Unit III (इकाई III)

6. Explain Insurable Interest in Marine Insurance with legal provisions.

समुद्री बीमा में बीमायोग्य हित को कानूनी प्रावधानों सहित समझाइए ।

7. Discuss the leading case New India Assurance Co. Ltd. v. G. N. Sainani (1997).

न्यू इंडिया एश्योरेंस कं० लिमिटेड बनाम जी. एन. सैनी (1997) केस पर चर्चा कीजिए ।

No. of Printed Pages : 05 Roll No.

46692

B.A. LL.B. (Hons.)

EXAMINATION, 2026

(Fifth Semester)

INSURANCE LAW

Paper-1743

Time : 3 *Hours*] [*Maximum Marks :* 80

Before answering the question-paper, candidates must ensure that they have been supplied with correct and complete question-paper. No complaint, in this regard will be entertained after the examination.

Note : Attempt *Five* questions in all, selecting *one* question from each Unit. Q. No. **1** is compulsory. All questions carry equal marks.

प्रत्येक इकाई से **एक** प्रश्न चुनते हुए, कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्न क्र. **1** अनिवार्य है । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

Compulsory Question (अनिवार्य प्रश्न)

1. (a) What is Risk ?

जोखिम क्या है ?

(b) What is Contribution ?

अंशदान क्या है ?

(c) Define Subrogation.

उपक्रमण की परिभाषा दीजिए ।

(d) What is Policy ?

पॉलिसी क्या है ?

(e) Define Insurable Value.

बीमायोग्य मूल्य की परिभाषा दीजिए ।

(f) What is Industrial Accident ?

औद्योगिक दुर्घटना क्या है ?

(g) Define Occupational Injury.

व्यावसायिक आघात की परिभाषा दीजिए ।

(h) Name any one leading case from Insurance Law.

विधि का कोई एक प्रसिद्ध निर्णय लिखिए ।

Unit I (इकाई I)

2. Explain the concept of Insurance and the applicability of Contract Law.

बीमा की अवधारणा तथा संविदा विधि की प्रयोज्यता स्पष्ट कीजिए ।

3. Discuss the nature, formation and essentials of an Insurance Contract.

बीमा अनुबंध का स्वरूप, निर्माण तथा आवश्यक तत्वों पर चर्चा कीजिए ।

Unit IV (इकाई IV)

8. Explain the authorities under the Workmen Compensation Act.

श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरणों की व्याख्या कीजिए ।

9. Discuss the Public Liability Insurance Act: scope, authorities and compensation.

लोक देयता बीमा अधिनियम के क्षेत्र, प्राधिकरण तथा मुआवजा प्रावधानों पर चर्चा कीजिए ।

❖❖❖❖❖❖❖